

FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

नागौर

अज अदालत कलक्टर,

प्रार्थी

मोतीराम उर्फ मोतीलाल पुत्र
लिछमणराम, जाति माली सोलंकी
निवासी ताउसर मोहल्ला हिलासर बास
तहसील व जिला नागौर, राज.

बनाम

अप्रार्थीगण

- मदनलाल पुत्र मोतीराम उर्फ
मोतीलाल जाति माली सोलंकी
निवासी ताउसर हिलासर बास,
तहसील व जिला नागौर, हाल
अच्छुताई की ढाणी तहसील व
मुण्डवा जिला नागौर वगैरह

किस्म मुकदमा मुत्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 52 सन् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम इस हुकम की तारीख जारी हुए
24/12/2024	<p>प्रार्थी ने यह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मुण्डवा में विचाराधीन राजस्व मूल वाद संख्या 63/2014 व राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 51/2024 बअनवान मदनलाल बनाम मोतीराम उर्फ मोतीलाल वगैरह को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुत्तकिल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अधीनस्थ न्यायालय से पैरावाईज टिप्पणी तलब हो तथा अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 28/01/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">2 जिला कलक्टर, नागौर</p>	
28/01/25	<p>वकील प्रार्थी उपर। अप्रार्थी सं 04 व 5 की ओर से वायफतनामा वकील जी गौरी शंकर श्री ने पेश किया जो शांति विभागा व वकील श्री से वायफत पत्रावली पेश हुआ जो शांति विभागा। आज भी शांति पीठागत अधीनस्थ न्यायालय अन्य राजस्वों से व्यस्त है। पत्रावली आपदा दिनांक 11/02/2025 को पेश हो</p>	
11/2/25	<p>वकील प्रार्थी उपर। श्रीमान P.O. सा. प्रशासनिक बोर्ड से व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 19/3/25 को पेश हो</p>	

05/03/2025- प्राची एवं वकील प्राची के प्रापत्र पर पत्रावली आज पेश की प्रस्तुत प्रापत्र में यह निर्वेदन किया है कि प्राची अब उक्त पत्रावली को मुन्तविल करवाना नहीं चाहता है तथा प्रापत्र जरिअे विकील खारिज करवाना चाहते हैं।

अतः प्राची एवं वकील प्राची के प्रापत्र पर पत्रावली जरिअे विकील खारिज की जाती है। पत्रावली के साथ मुभाट होकर नम्बर से फर्ग हो बाद आदत कार्यवाही दाखिल रहत है।

2
कलक्टर नागौर